


अधिसूचना

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम-59 सन 1988) की धारा 89 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक Estt. B2(V)/WA/2016/1134 दिनांक 05.02.2016 के अनुसरण में राज्य सरकार श्री रामसिंह मीणा, पीठासीन अधिकारी, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर को अपने पद के कार्य के अतिरिक्त अग्रिम आदेशों तक पीठासीन अधिकारी राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, जयपुर के सदस्य के रूप में कार्यभार सम्भालने की तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त करती है।


राज्यपाल की आज्ञा से


(चुनीलाल कायल) 19/02/2016

संयुक्त शासन सचिव, परिवहन

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सचिव, भारत सरकार, परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. विशिष्ट सहायक, परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, परिवहन राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव एवं विधि परामर्शी, विधि एवं न्यायिक विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. सदस्य राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण राजस्थान, जयपुर।
10. श्री रामसिंह मीणा, पीठासीन अधिकारी, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वो उसी मुख्यालय में स्थित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी होने के कारण उन्हें आवंटित कार्य के साथ अतिरिक्त आवंटित प्रभार के निर्धारित मानक का कम से कम 40 प्रतिशत कार्य की उपलब्धि करेंगे। माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारित करने के लिये दिए गए निर्देशों के प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करेंगे।
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
12. सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार राजस्थान, जयपुर।
13. अपर परिवहन आयुक्त एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव (पुराण) मुख्यालय, जयपुर।
14. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
15. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, राजस्थान जयपुर।
16. समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, राजस्थान जयपुर।
17. समस्त जिला परिवहन अधिकारी, राजस्थान जयपुर।
18. विधि कार्डिनेशन विभाग को अतिरिक्त प्रति सहित।
19. मंत्रिमण्डल सचिवालय, व्यवस्था एवं पद्धति विभाग, राजस्थान जयपुर।
20. अधीक्षक राज्य मुद्रणालय, विभाग राजस्थान जयपुर को उनके राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी संलग्न कर लेख है कि इसके प्रकाशन की सूचना इस विभाग को भी भिजवाएं।
21. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव, परिवहन

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No.Estt.b2(v)1/WA/2016/1763

Date : 24.02.2016

Copy forwarded to the following for information and necessary action :-

1. The Registrar General/Registrar(Vig.)/(Admn.)/(Rules)/(Class.)/(Exam.)/OSD(F&I)/Rajasthan High Court, Jodhpur.
2. The Registrar(Admn.), Rajasthan High Court Bench, Jaipur with the request to distribute the copies of this order to all the Hon'ble Judges sitting at Jaipur through P.S., Member Secretary, Rajasthan State Legal Services Authority and all the Judicial Officers posted in the Registry at Jaipur Bench, Jaipur.
3. The Registrar-Cum-Principal Secretary to Hon'ble the Chief Justice, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench, Jaipur.
4. P.S. to All Hon'ble Judges sitting at Jodhpur.
5. **Shri Ram Singh Meena, P.O., State Transport Appellate Tribunal, Jaipur.**
6. **P.O., Rajasthan Non-Govt.Educational Institutional Tribunal, Jaipur.**
7. DJ, Jaipur Metropolitan/Treasury Officer.
8. The Director, Rajasthan State Judicial Academy, Jodhpur.
9. RJS-Estt. Section/Confidential Section/ Statistics Section/General Section/ Subordinate Court (Estt.) Section/RJS Leave Clerk/ Building Side/Computer Cell.
- 10.A.O.J.,Classification Section (Website), Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench, Jaipur.


REGISTRAR (ADMN.)